

**फार्म सं0 15**  
[नियम सं0 46(3) देखें]  
प्रमाणित नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड  
देहरादून।

1. आवेदक का नाम..... पुत्र / पत्नी श्री .....
2. निवासी.....
3. पत्रावली का विवरण जिसमें से प्रति की आवश्यकता है.....
4. स्थान का विवरण जहां सम्पत्ति स्थित है.....
5. किरायेदार का नाम (यदि हो).....
6. पक्ष / पार्टी का नाम (यदि हो).....
7. पक्ष / पार्टी की प्रकृति.....
8. वाद / मामले की प्रकृति.....
9. गजट अथवा अभिलेख का विवरण जिसकी प्रमाणित प्रति चाहिए.....
10. उद्देश्य जिस हेतु प्रमाणित प्रति चाहिए निजी उपयोग अथवा किसी न्यायालय इत्यादि में पेश करने हेतु:- .....

दिनांक:

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

नकल रजिस्टर क्रमांक:-.....

नकल शुल्क वसूल किया:- रु0 ..... रसीद सं0 ..... दिनांक.....

आदेश पारित

दिनांक:

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नकल जारी करने वाले के हस्ताक्षर.....

नकल प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर.....